राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 4(19) ग्रावि/नरेगा/पीओ/III/09–10 जयपुर, दिनांक: 20 JAN 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **संविदा पर नियोजित तथा माननीय न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त कार्यक्रम अधिकारियों के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संविदा आधार पर अनुबन्धित कार्यक्रम अधिकारियों की संविदा अवधि नहीं बढाये जाने के संबध में निर्णय उच्च स्तर पर किया गया था। कुछ कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायलय से उनकी सेवाऐं समाप्त किये जाने के संबध में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। कुछ जिलों द्वारा इस तरह से नियोजित कार्यक्रम अधिकारियों के संबंध में निम्न प्रकार की समस्याओं के बाबत मार्गदर्शन चाहा गया है :–

1. महिला संविदा कर्मियों द्वारा मातृत्व अवकाश के दौरान के मानदेय के भुगतान के संबंध में।
2. माननीय न्यायालय के द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों के मानदेय के भुगतान के संबंध में।
3. माननीय न्यायालय के द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों का मानदेय भुगतान अनुबन्ध अवधि बढाकर किये जाने के संबंध में।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिन संविदा कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् जिस दिन कार्यालय में उपस्थिति दी है उस दिन से मानदेय देय है। मानदेय माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश समाप्त किये जाने अथवा रिट के निपटारे की तिथि तक देय है।
2. मानदेय का भुगतान माह की समाप्ति के बाद नियमानुसार 7 दिवस में देय है।
3. महिला संविदा कर्मियों हेतु मातृत्व अवकाश 6 माह के लिए सवेतन देय है। अतः ऐसे महिला कार्मियों को 6 माह का अथवा संविदा समाप्ति की अवधि अथवा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की तिथि तक का मानदेय देय है।
4. कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा संविदा अवधि नहीं बढाये जाने के पश्चात माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर पुनः उपस्थिति दी है, परन्तु बाद में स्वयं ने त्याग पत्र दे दिया है तो उसे त्याग पत्र की तिथि तक मानदेय देय है।
5. माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कार्यक्रम अधिकारियों को मानदेय का भुगतान बिना संविदा अवधि बढाये ही देय है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय,
18.1.10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस